प्रेषक,

निदेशक मत्स्य
उ0प्र0, लखनऊ।

सेवा में,

1. उप निदेशक मत्स्य,......................

2. सहायक निदेशक मत्स्य/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
मत्स्य पालक विकास अभिकरण..........................

3. आहरण वितरण अधिकारी, मुख्यालय

पत्रांक 1647 /नि0शा0/16–19(6)/2022–23 दिनांक– 05 अगस्त, 2022

विषयः वित्तीय वर्ष 2022–23 में विभागीय मत्स्य प्रक्षेत्रों के सुदृढ़ीकरण योजना हेतु आय–व्ययक प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष धनराशि रू0 46,11,750/– (रू0 छियालिस लाख ग्यारह हजार सात सौ पचास मात्र) की शासन द्वारा निर्गत वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष धनराशि रू0 43,80,125/– (रू0 तैंतालिस लाख अस्सी हजार एक सौ पच्चीस मात्र) का बजट आवंटन का प्रेषणः

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 35/2022/852/सत्रह–म–2022/001–17–1002–002–13–2019 दिनांक 04.08.2022, (प्रतिलिपि संलग्न) में उल्लिखित चालू वित्तीय वर्ष 2021–22 के आय–व्ययक प्रावधान के सापेक्ष संचालित विभागीय मत्स्य प्रक्षेत्रों के सुदृढ़ीकरण योजना के अन्तर्गत धनराशि रू0 **46,11,750/– (रू0 छियालिस लाख ग्यारह हजार सात सौ पचास मात्र)** की शासन द्वारा निर्गत वित्तीय स्वीकृति एवं निदेशालय के प्रस्ताव के अनुसार संलग्न विवरण के तहत धनराशि **रू0 43,80,125/– (रू0 तैंतालिस लाख अस्सी हजार एक सौ पच्चीस मात्र)** का बजट आवंटित करते हुए व्यय किये जाने की अनुमति शासनादेश में दिये गये शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अन्तर्गत प्रदान की जाती है।

1. उपरोक्त स्वीकृत धनराशि का उपभोग शासन द्वारा पूर्व निर्धारित नियमों/शर्तों के अन्तर्गत किया जायेगा।
2. प्रश्नगत धनराशि को निर्वतन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय का प्राधिकार प्राप्त नहीं होता है। जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियमों संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
3. जारी वित्तीय स्वीकृतियों के अन्तर्गत आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाये। एकमुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय। धनराशि के एकमुश्त आहरण से राज्य के रोकड प्रबन्धन (कैश मैनेजमेन्ट) पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
4. सम्भावित व्यय की फेजिंग विभाग के कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार कर ली जाय और जहां तक सम्भव हो, व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष के लिए प्रति माह समान रूप से की जाय।
5. वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता सम्बन्धी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित करने के साथ–साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर–12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्डस आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।
6. जेम पोर्टल के माध्यम से क्रय करते समय भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत सुसंगत शासनादेशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
7. जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/नियन्त्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।
8. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही इसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा।

9. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 07 जून, 2022 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

10. प्रक्षेत्र संचालन हेतु निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष स्पान से फ्राई उत्पादन हेतु रू0 6500/– (मानक मदवार धनराशि) एवं फ्राई से फिंगरलिंग उत्पादन हेतु रू0 80000/– (मानक मदवार धनराशि) प्रति लाख मत्स्य बीज उत्पादन की दर से सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारियों को आवंटित हैं। अतएव आवंटित धनराशि का मत्स्य बीज उत्पादन के सापेक्ष निर्धारित मानकों के अनुरूप उपयोग किया जाय एवं वित्तीय वर्ष के अन्त तक उपभोग प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाय।

11. प्रक्षेत्रों पर संचित स्पान से फ्राई के सापेक्ष न्यूनतम 25 प्रतिशत एवं संचित फ्राई से फिंगरलिंग के सापेक्ष 60 प्रतिशत तक उत्तर जीविता दर प्राप्त करते हुए न्यूनतम लाभ लागत अनुपात स्पान से फ्राई उत्पादन हेतु (1.50:1) एवं फ्राई से फिंगरलिंग उत्पादन हेतु (1.75:1) सुनिश्चित किया जाय।

12. उपरोक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022–23 के अनुदान सं0–17 के अधीन लेखा शीर्षक–2405–मछली पालन 101–अन्तर्देशीय मछली पालन– 04–मत्स्य विकास कार्यक्रम, 0408–विभागीय मत्स्य प्रक्षेत्रों का सुदृढ़ीकरण, 02–मजदूरी, 09–विद्युत देय, 39–औषधि तथा रसायन, 42–अन्य व्यय, 43– सामग्री एवं सम्पूर्ति के नामे डाला जायेगा।

13. उक्त बजट का आवंटन बजट रजिस्टर के पृष्ठ संख्या–(23) पर अंकित है।

भवदीय

(रवीन्द्र प्रताप सिंह)
वित्त एवं लेखाधिकारी
कृते निदेशक मत्स्य, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक– /नि0शा0/16–19(6)/2022–23 उक्त दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
2– संबंधित जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी
3– उप सचिव, मत्स्य उत्पादन अनुभाग, उ0प्र0शासन, लखनऊ।
4– संबंधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी.................................
5– उप निदेशक मत्स्य (नियो0), मुख्यालय।
6– गार्ड फाइल।
7– वेब आफिसर, निदेशालय को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त बजट आवंटन विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करें।

(रवींन्द्र प्रताप सिंह)
वित्त एवं लेखाधिकारी
कृते निदेशक मत्स्य, उ0प्र0, लखनऊ।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2022-2023
आवंटन दिनांक-05/08/2022

प्रेषण संख्या:- 1
आवंटन आदेश संख्या:- 001-0408 SPAN SE FRY FISH PRODUCTION ALLOT 05-08-22
अनुदान संख्या:- 17 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)(वित्तीय वर्ष 2022-2023 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2405 - मछली पालन(आयोजनेत्तर-मतदेय)

101 - अन्तर्देशीय मछली पालन
04 -
08 - विभागीय मत्स्य प्रक्षेत्रों का सुद्दढ़ीकरण

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		02-मजदूरी	39-औषधि तथा रसायन	42-अन्य व्यय	43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	योग
1	सहारनपुर-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	1500 1500	1500 1500	4000 4000	22740 22740	29740 29740
2	मेरठ-4362-उप निदेशक मत्स्य , --18-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - बागपत	वर्तमान प्रगामी	2000 2000	2000 2000	6680 6680	30320 30320	41000 41000
3	आगरा-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	2000 2000	2000 2000	17680 17680	30320 30320	52000 52000
4	मैनपुरी-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	625 625	625 625	5525 5525	9475 9475	16250 16250
5	बरेली-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	1500 1500	1500 1500	13260 13260	22740 22740	39000 39000
6	बिजनौर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	1250 1250	1250 1250	11050 11050	18950 18950	32500 32500
7	शाहजहांपुर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	4250 4250	4250 4250	24570 24570	64430 64430	97500 97500
8	इटावा-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	1750 1750	1750 1750	4500 4500	26530 26530	34530 34530
9	फतेहपुर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	3750 3750	3750 3750	21150 21150	56850 56850	85500 85500
10	प्रयागराज-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	11250 11250	11250 11250	76450 76450	170550 170550	269500 269500
11	प्रयागराज-4362-उप निदेशक मत्स्य , --16-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - प्रतापग	वर्तमान प्रगामी	8750 8750	8750 8750	55350 55350	132650 132650	205500 205500
12	झाँसी-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	4500 4500	4500 4500	39780 39780	68220 68220	117000 117000
13	जालौन-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	1250 1250	1250 1250	3500 3500	18950 18950	24950 24950
14	बांदा -2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	1250 1250	1250 1250	11050 11050	18950 18950	32500 32500
15	वाराणसी-4362-उप निदेशक मत्स्य , --12-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य -जौनपुर	वर्तमान प्रगामी	8750 8750	8750 8750	20500 20500	132650 132650	170650 170650
16	मिर्ज़ापुर-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	10000 10000	10000 10000	57400 57400	151600 151600	229000 229000
17	गोरखपुर-4362-उप निदेशक मत्स्य , --10-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - देवरिया	वर्तमान प्रगामी	1250 1250	1250 1250	11050 11050	18950 18950	32500 32500
18	वस्ती-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	1500 1500	1500 1500	13260 13260	22740 22740	39000 39000
19	वस्ती-4362-उप निदेशक मत्स्य , --26-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - सन्त कबीर नगर	वर्तमान प्रगामी	3750 3750	3750 3750	9500 9500	56850 56850	73850 73850

3

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		02-मजदूरी	39-औषधि तथा रसायन	42-अन्य व्यय	43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	योग
20	आजमगढ-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	2000 2000	2000 2000	6000 6000	30320 30320	40320 40320
21	आजमगढ-4362-उप निदेशक मत्स्य , --15-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - बलिया	वर्तमान प्रगामी	6750 6750	6750 6750	16500 16500	102330 102330	132330 132330
22	लखनऊ कलेक्ट्रेट -4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	2500 2500	2500 2500	22100 22100	37900 37900	65000 65000
23	लखनऊ कलेक्ट्रेट -4362-उप निदेशक मत्स्य , --02-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - उन्नाव	वर्तमान प्रगामी	7500 7500	7500 7500	18300 18300	113700 113700	147000 147000
24	सीतापुर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	4250 4250	4250 4250	37570 37570	64430 64430	110500 110500
25	हरदोई-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	5000 5000	5000 5000	11000 11000	75800 75800	96800 96800
26	लखीमपुर खीरी-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	6250 6250	6250 6250	55250 55250	94750 94750	162500 162500
27	अयोध्या-4362-उप निदेशक मत्स्य , --04-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - गोण्डा	वर्तमान प्रगामी	10000 10000	10000 10000	75400 75400	151600 151600	247000 247000
28	अयोध्या-4362-उप निदेशक मत्स्य , --05-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - सुल्तानपुर	वर्तमान प्रगामी	6250 6250	6250 6250	55250 55250	94750 94750	162500 162500
29	अयोध्या-4362-उप निदेशक मत्स्य , --06-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - बाराबकी	वर्तमान प्रगामी	7500 7500	7500 7500	66300 66300	113700 113700	195000 195000
30	ललितपुर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	7500 7500	7500 7500	66300 66300	113700 113700	195000 195000
31	मऊ-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	500 500	500 500	2000 2000	7580 7580	10580 10580
32	सिद्धार्थनगर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	4500 4500	4500 4500	39780 39780	68220 68220	117000 117000
33	महोबा-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	2250 2250	2250 2250	19890 19890	34110 34110	58500 58500
34	संत रविदास नगर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	12500 12500	12500 12500	29000 29000	189500 189500	243500 243500
35	कुशीनगर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	1250 1250	1250 1250	11050 11050	18950 18950	32500 32500
	योग	वर्तमान प्रगामी	157375 157375	157375 157375	937945 937945	2385805 2385805	3638500 3638500

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया छत्तीस लाख अड़तीस हजार पाँच सौ
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया छत्तीस लाख अड़तीस हजार पाँच सौ

2.8.22

(रवींद्र प्रताप सिंह)
वित्त एवं लेखाधिकारी

4

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2022-2023
आवंटन दिनांक-05/08/2022

प्रेषण संख्या:- 1
आवंटन आदेश संख्या:- 001-0408 FRY SE FINGER LING ALLOT 05-08-22
अनुदान संख्या:- 17 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)(वित्तीय वर्ष 2022-2023 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2405 - मछली पालन(आयोजनेत्तर-मतदेय)

101 - अन्तर्देशीय मछली पालन
04 -
08 - विभागीय मत्स्य प्रक्षेत्रों का सुद्दढ़ीकरण

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		02-मजदूरी	39-औषधि तथा रसायन	42-अन्य व्यय	43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	योग
1	शाहजहांपुर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	2550 6800	850 5100	27184 51754	46916 111346	77500 175000
2	झाँसी-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	3825 8325	1275 5775	44526 84306	70374 138594	120000 237000
3	लखनऊ कलेक्ट्रेट -4362-उप निदेशक मत्स्य , --02-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - उन्नाव	वर्तमान प्रगामी	2550 10050	850 8350	27184 45484	46916 160616	77500 224500
4	हरदोई-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	1275 6275	425 5425	14842 25842	23458 99258	40000 136800
5	अयोध्या-4362-उप निदेशक मत्स्य , --04-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - गोण्डा	वर्तमान प्रगामी	2550 12550	850 10850	27184 102584	46916 198516	77500 324500
6	अयोध्या-4362-उप निदेशक मत्स्य , --05-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - सुल्तानपुर	वर्तमान प्रगामी	1275 7525	425 6675	14842 70092	23458 118208	40000 202500
7	संत रविदास नगर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	2550 15050	850 13350	27184 56184	46916 236416	77500 321000
	योग	वर्तमान प्रगामी	16575 66575	5525 55525	182946 436246	304954 1062954	510000 1621300

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया पाँच लाख दस हजार
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया सोलह लाख इक्कीस हजार तीन सौ

(रवींद्र प्रताप सिंह)
वित्त एवं लेखाधिकारी

5

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2022-2023
आवंटन दिनांक-05/08/2022

प्रेषण संख्या:- 1
आवंटन आदेश संख्या:- 001-0408 FISH FARM STHRENTHING ALLOT 05-08-2022
अनुदान संख्या:- 17 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)(वित्तीय वर्ष 2022-2023 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2405 - मछली पालन(आयोजनेत्तर-मतदेय)

101 - अन्तर्देशीय मछली पालन
04 -
08 - विभागीय मत्स्य प्रक्षेत्रों का सुदृढ़ीकरण

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		09-विद्युत देय	योग
1	जवाहर भवन, लखनऊ-2381-अर्थ एवं संख्याधिकारी , लखनऊ-01--	वर्तमान प्रगामी	231625 231625	231625 231625
	योग	वर्तमान प्रगामी	231625 231625	231625 231625

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया दो लाख इकत्तीस हजार छ: सौ पच्चीस
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया दो लाख इकत्तीस हजार छ: सौ पच्चीस

(रवींद्र प्रताप सिंह)
वित्त एवं लेखाधिकारी

6.

प्रेषक,

निदेशक मत्स्य
उ0प्र0, लखनऊ।

सेवा में,

1. उप निदेशक मत्स्य,......................

2. सहायक निदेशक मत्स्य/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
मत्स्य पालक विकास अभिकरण.........................

3. आहरण वितरण अधिकारी, मुख्यालय

पत्रांक /नि0शा0/16-19(6)/2022-23 दिनांक- 05 अगस्त, 2022

विषयः वित्तीय वर्ष 2022-23 में विभागीय मत्स्य प्रक्षेत्रों के सुदृढ़ीकरण योजना हेतु आय-व्ययक प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष धनराशि रू0 46,11,750/- (रू0 छियालिस लाख ग्यारह हजार सात सौ पचास मात्र) की शासन द्वारा निर्गत वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष धनराशि रू0 43,80,125/- (रू0 तैंतालिस लाख अस्सी हजार एक सौ पच्चीस मात्र) का बजट आवंटन का प्रेषणः

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 35/2022/852/सत्रह-म-2022/001-17-1002-002-13-2019 दिनांक 04.08.2022, (प्रतिलिपि संलग्न) में उल्लिखित चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक प्रावधान के सापेक्ष संचालित विभागीय मत्स्य प्रक्षेत्रों के सुदृढ़ीकरण योजना के अन्तर्गत धनराशि रू0 **46,11,750/- (रू0 छियालिस लाख ग्यारह हजार सात सौ पचास मात्र)** की शासन द्वारा निर्गत वित्तीय स्वीकृति एवं निदेशालय के प्रस्ताव के अनुसार संलग्न विवरण के तहत धनराशि **रू0 43,80,125/- (रू0 तैंतालिस लाख अस्सी हजार एक सौ पच्चीस मात्र)** का बजट आवंटित करते हुए व्यय किये जाने की अनुमति शासनादेश में दिये गये शतों एवं प्रतिबन्धों के अन्तर्गत प्रदान की जाती है।

1. उपरोक्त स्वीकृत धनराशि का उपभोग शासन द्वारा पूर्व निर्धारित नियमों/शर्तों के अन्तर्गत किया जायेगा।
2. प्रश्नगत धनराशि को निर्वतन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय का प्राधिकार प्राप्त नहीं होता है। जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियमों संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
3. जारी वित्तीय स्वीकृतियों के अन्तर्गत आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाये। एकमुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय। धनराशि के एकमुश्त आहरण से राज्य के रोकड प्रबन्धन (कैश मैनेजमेन्ट) पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
4. सम्भावित व्यय की फेजिंग विभाग के कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार कर ली जाय और जहां तक सम्भव हो, व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष के लिए प्रति माह समान रूप से की जाय।
5. वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता सम्बन्धी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित करने के साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्डस आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।
6. जेम पोर्टल के माध्यम से क्रय करते समय भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत शासनादेशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
7. जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/नियन्त्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।
8. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही इसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा।

9. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 07 जून, 2022 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

10. प्रक्षेत्र संचालन हेतु निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष स्पान से फ्राई उत्पादन हेतु रू0 6500/- (मानक मदवार धनराशि) एवं फ्राई से फिंगरलिंग उत्पादन हेतु रू0 80000/- (मानक मदवार धनराशि) प्रति लाख मत्स्य बीज उत्पादन की दर से सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारियों को आवंटित है। अतएव आवंटित धनराशि का मत्स्य बीज उत्पादन के सापेक्ष निर्धारित मानकों के अनुरूप उपयोग किया जाय एवं वित्तीय वर्ष के अन्त तक उपभोग प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाय।

11. प्रक्षेत्रों पर संचित स्पान से फ्राई के सापेक्ष न्यूनतम 25 प्रतिशत एवं संचित फ्राई से फिंगरलिंग के सापेक्ष 60 प्रतिशत तक उत्तर जीविता दर प्राप्त करते हुए न्यूनतम लाभ लागत अनुपात स्पान से फ्राई उत्पादन हेतु (1.50:1) एवं फ्राई से फिंगरलिंग उत्पादन हेतु (1.75:1) सुनिश्चित किया जाय।

12. उपरोक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के अनुदान सं0-17 के अधीन लेखा शीर्षक-2405-मछली पालन 101-अन्तर्देशीय मछली पालन- 04-मत्स्य विकास कार्यक्रम, 0408-विभागीय मत्स्य प्रक्षेत्रों का सुदृढ़ीकरण, 02-मजदूरी, 09-विद्युत देय, 39-औषधि तथा रसायन, 42-अन्य व्यय, 43- सामग्री एवं सम्पूर्ति के नामे डाला जायेगा।

13. उक्त बजट का आवंटन बजट रजिस्टर के पृष्ठ संख्या-(23) पर अंकित है।

भवदीय

(रवीन्द्र प्रताप सिंह)
वित्त एवं लेखाधिकारी
कृते निदेशक मत्स्य, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक- 1647 /नि0शा0/16-19(6)/2022-23 उक्त दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- संबंधित जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी
3- उप सचिव, मत्स्य उत्पादन अनुभाग, उ0प्र0शासन, लखनऊ।
4- संबंधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी..............................
5- उप निदेशक मत्स्य (नियो0), मुख्यालय।
6- गार्ड फाइल।
7- वेब आफिसर, निदेशालय को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त बजट आवंटन विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करें।

(रवीन्द्र प्रताप सिंह)
वित्त एवं लेखाधिकारी
कृते निदेशक मत्स्य, उ0प्र0, लखनऊ।

वित्तीय वर्ष 2022–23 में विभागीय मत्स्य प्रक्षेत्रों के सुदृढ़ीकरण योजना हेतु निर्गत वित्तीय स्वीकृति (इकाई रू0 में)

क0 सं0	जनपद	प्रक्षेत्र का नाम	लक्ष्य	02– मजदूरी	09– विद्युत	39– औषधि	42– अन्य मद	43– सामग्री सम्पूर्ति	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
क	स्पान से फ्राई मत्स्य उत्पादन								
1	आगरा	लड़ामदा	8.00	2000	0	2000	17680	30320	52000
2	मैनपुरी	चौराईपुर	2.50	625	0	625	5525	9475	16250
3	आजमगढ़	अजमतगढ़	8.00	2000	0	2000	6000	30320	40320
4	मऊ	हाजीपुर	2.00	500	0	500	2000	7580	10580
5	बलिया	निधरिया एवं अवांय	27.00	6750	0	6750	16500	102330	132330
6	प्रयागराज	तेंदुआ एवं तरांव	45.00	11250	0	11250	76450	170550	269500
7	फतेहपुर	टेसाही बुजुर्ग	15.00	3750	0	3750	21150	56850	85500
8	प्रतापगढ़	बेल्हा	35.00	8750	0	8750	55350	132650	205500
9	कानपुर नगर	चौबेपुर	0.00	0	0	0	0	0	0
10	इटावा	कर्वाबुजुर्ग	7.00	1750	0	1750	4500	26530	34530
11	देवरिया	खुखुन्दू	5.00	1250	0	1250	11050	18950	32500
12	कुशीनगर	गंगेलवा	5.00	1250	0	1250	11050	18950	32500
13	बस्ती	शंकरपुर	6.00	1500	0	1500	13260	22740	39000
14	संतकबीरनगर	तामा	15.00	3750	0	3750	9500	56850	73850
15	सिद्धार्थ नगर	पंचमोहनी	18.00	4500	0	4500	39780	68220	117000
16	बांदा	नहरी	5.00	1250	0	1250	11050	18950	32500
17	महोबा	किडारी	9.00	2250	0	2250	19890	34110	58500
18	झांसी	गुरूसराय	18.00	4500	0	4500	39780	68220	117000
19	जालौन	आंटा	5.00	1250	0	1250	3500	18950	24950
20	ललितपुर	माताटीला	30.00	7500	0	7500	66300	113700	195000
21	सुल्तानपुर	तौकलपुर	25.00	6250	0	6250	55250	94750	162500
22	बाराबंकी	बंकी	30.00	7500	0	7500	66300	113700	195000
23	गोण्डा	पूरे तिवारी	40.00	10000	0	10000	75400	151600	247000
24	बरेली	लम्बाखेड़ा	6.00	1500	0	1500	13260	22740	39000
25	शाहजहांपुर	बलेली	17.00	4250	0	4250	24570	64430	97500
26	बिजनौर	ढेलाअहीर	5.00	1250	0	1250	11050	18950	32500
27	बागपत	सरूरपुर	8.00	2000	0	2000	6680	30320	41000
28	लखनऊ	भैंसामऊ	10.00	2500	0	2500	22100	37900	65000
29	उन्नाव	नवाबगंज	30.00	7500	0	7500	18300	113700	147000
30	सीतापुर	सुरैचा	17.00	4250	0	4250	37570	64430	110500
31	हरदोई	संडीला	20.00	5000	0	5000	11000	75800	96800
32	लखीमपुर खीरी	घरथनिया	25.00	6250	0	6250	55250	94750	162500
33	जौनपुर	गूजरताल	35.00	8750	0	8750	20500	132650	170650
34	मिर्जापुर	बघौड़ा एवं	40.00	10000	0	10000	57400	151600	229000
35	संतरविदास नगर	विक्रमपुर	50.00	12500	0	12500	29000	189500	243500
36	सहारनपुर	रामपुरमनिहारन	6.00	1500	0	1500	4000	22740	29740
		उप योग–	**629.50**	**157375**	**0**	**157375**	**937945**	**2385805**	**3638500**
ख	फ्राई से फिंगरलिंग मत्स्य उत्पादन								
1	झांसी	गुरूसराय	1.50	3825	0	1275	44526	70374	120000
2	सुल्तानपुर	तौकलपुर	0.50	1275	0	425	14842	23458	40000
3	गोण्डा	पूरेतिवारी	1.00	2550	0	850	27184	46916	77500
4	शाहजहांपुर	बलेली	1.00	2550	0	850	27184	46916	77500
5	उन्नाव	नवाबगंज	1.00	2550	0	850	27184	46916	77500
6	हरदोई	संडीला	0.50	1275	0	425	14842	23458	40000
7	संतरविदास नगर	विक्रमपुर	1.00	2550	0	850	27184	46916	77500
		उप योग–	**6.50**	**16575**	**0**	**5525**	**182946**	**304954**	**510000**
ग	आहरणवितरण अधिकारी(मुख्यालय)		0.00	0	231625	0	0	0	231625
		उप योग–	**0.00**	**0**	**231625**	**0**	**0**	**0**	**231625**
		कुल योग (क+ख)–	**636.00**	**173950**	**231625**	**162900**	**1120891**	**2690759**	**4380125**

(कुल रू0 तैंतालिस लाख अस्सी हजार एक सौ पच्चीस मात्र)

संख्या- 35/2022/ 852/ सत्रह-म-2022/ 001-17-1002-002-13-2019

प्रेषक,

डा0 सरोज कुमार,

विशेष सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक मत्स्य,

उ0प्र0 लखनऊ।

मत्स्य उत्पादन अनुभाग लखनऊ: दिनांक 04 अगस्त, 2022

विषय- वित्तीय वर्ष 2022-23 में विभागीय मत्स्य प्रक्षेत्रों का सुदृढीकरण योजना हेतु रू0 46,11,750/ - की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या- 223/ नि0शा0/ 2022-23 दिनांक 13 जून, 2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2022-23 में विभागीय मत्य प्रक्षेत्रों का सुदृढीकरण योजना हेतु आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू0 50.00 लाख के सापेक्ष अनुदान संख्या-17 के अधीन लेखाशीर्षक 2405- मछली पालन- 101-अन्तर्देशीय मछली पालन- 04- मत्स्य विकास कार्यक्रम – 0408- विभागीय मत्स्य प्रक्षेत्रों का सुदृढीकरण योजना के अन्तर्गत 02- मजदूरी मद में रू0 173950, 09- विद्युत देय मद में रू0 463250, 39- औषधि तथा रसायन मद में रू0 162900, 42- अन्य व्यय मद में रू0 1120891 तथा 43- सामग्री एवं सम्पूर्ति मद के अन्तर्गत धनराशि रू0 2690759 अर्थात कुल धनराशि रू0 4611750/- (रू0 छियालीस लाख ग्यारह हजार सात सौ पचास मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 13 जून, 2022 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुक्रम में विभागीय मत्स्य प्रक्षेत्रों का सुदृढीकरण योजना हेतु कुल धनराशि रू0 46,11, 750/- (रू0 छियालीस लाख ग्यारह हजार सात सौ पचास मात्र) को श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन आहरित कर व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

नियम व शर्ते/ प्रतिबन्धों-

(1) उपरोक्त स्वीकृत धनराशि का उपभोग शासन द्वारा पूर्व निर्धारित नियमों/ शर्तों के अन्तर्गत किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत धनराशि को निवर्तन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय का प्राधिकार प्राप्त नहीं होता है। जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/ केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(3)जारी वित्तीय स्वीकृतियों के अन्तर्गत आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय। एकमुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय। धनराशि के एकमुश्त आहरण से राज्य के रोकड प्रबन्धन (कैश मैनेजमेंट) पर प्रतिकूल प्रभाव पडता है।

(4) सभावित व्यय की फैंजिग विभाग के कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार कर ली जाय और जहाँ तक सम्भव हो, व्यय की फैंजिग वित्तीय वर्ष के लिए प्रति माह समान रूप से की जाय।

(5) वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता सम्बंधी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित करने के साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्स आफ फाइनेन्शियल प्रोपाइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

(6) जेम पोर्टल के माध्यम से क्रय करते समय भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत शासनादेशें का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/ केन्द्र अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/ नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(8) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही इसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा।

(9) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/ व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 07 जून, 2022 में दिये गये निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

3- इस सम्बंध में होने वाला व्यय लेखाशीर्षः 2405001010408 (विभागीय मत्स्य प्रक्षेत्रों का सुदृढीकरण)

क्र0 सं0	अनुदान संख्या	लेखाशीर्षक	मानक मद	स्वीकृत धनराशि
1	017	2405001010408 विभागीय मत्स्य प्रक्षेत्रों का सुदृढ़ीकरण	02 मजदूरी	1,73,950 (रूपये एक लाख तिहत्तर हजार नौ सौ पचास मात्र)
2	017	2405001010408 विभागीय मत्स्य प्रक्षेत्रों का सुदृढ़ीकरण	09 विद्युत देय	4,63,250 (रूपये चार लाख तिरसठ हजार दो सौ पचास मात्र)
3	017	2405001010408 विभागीय मत्स्य प्रक्षेत्रों का सुदृढ़ीकरण	39 औषधि तथा रसायन	1,62,900 (एक लाख बासठ हजार नौ सौ मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4	017	2405001010408 विभागीय मत्स्य प्रक्षेत्रों का सुदृढ़ीकरण	42 अन्य व्यय	11,20,891 (रूपये ग्यारह लाख बीस हजार आठ सौ इक्यानबे मात्र)
5	017	2405001010408 विभागीय मत्स्य प्रक्षेत्रों का सुदृढ़ीकरण	43 सामग्री एवं सम्पूर्ति	26,90,759 (रूपये छब्बीस लाख नब्बे हजार सात सौ उनसठ मात्र)
	कुल	महायोग	**रूपये 46,11,750 (रूपये छियालीस लाख ग्यारह हजार सात सौ पचास मात्र)**	

के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 13/2022/ बी-1-454/ दस-2022-231/ 2022, दिनांक 07 जून, 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

डा0 सरोज कुमार,
विशेष सचिव।

<u>संख्या- 35/2022/ 852/सत्रह-म-2022/001-17-1002-002-13-2019, तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम / द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
2- महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम / द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
3- मुख्य कोषाधिकारी जवाहर भवन लखनऊ ।
4- सम्बंधित कोषाधिकारी उ0प्र0 ।
5- वित्त एवं लेखाधिकारी मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।
6- वित्त (व्यय-नियत्रंण) अनुभाग-1 / वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/ नियोजन अनुभाग-3 ।
7- गार्ड फाइल ।

http://shasanadesh.up.nic.com

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।